



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सीटिंग नोटिस

फा.सं. NCST/SER-1087/MRLY/39/2023-SSW

दिनांक: 30.06.2025

सेवा मे,

श्री अशोक कुमार वर्मा,
महाप्रबंधक,
उत्तर रेलवे, बडौदा हाउस,
नई दिल्ली -110001
Email Id: gm@nr.railet.gov.in

विषय: अनुसूचित जनजाति व्यक्ति के साथ रेलवे प्रशासन द्वारा अभद्रता का व्यवहार करने के संबंध में - श्री रामेश्वर मीणा, मुख्य टिकट निरीक्षक, उ.रे., लखनऊ का दिनांक 13.09.2023 का अभ्यावेदन।

संदर्भ: आयोग का कार्यवृत्त नोटिस दिनांक 13.05.2025 (प्रतिलिपि संलग्न)

महोदय,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है।

2. डॉ. आशा लकड़ा, माननीया सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक **07.07.2025 को 03:40 P.M.** बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से और माननीया सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

भवदीय

(एच.आर.मीना/ H.R.Meena)

अनुसंधान अधिकारी/ Research Officer

Email ID : hari.rammeena@ncst.nic.in

प्रति, सिटिंग में उपस्थित होने के लिए सूचनार्थ:

श्री रामेश्वर मीणा
गांव-अलीपुर, तहसील-भुसावर,
जिला-भरतपुर (राजस्थान)-321615
(Mobile No:8440857406)

(ii) PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)

✓ (iii) NIC for uploading